

NITI RAJ SINGH CHAUDHURY) : Sir, I beg to move :

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that a Joint Committee of the Houses to be called the Joint Committee on the Office of Profit be constituted for the purposes set out in the motion adopted by the Lok Sabha at its sitting held on the 15th June, 1971, and communicated to this House, and resolves that this House do join in the said Joint Committee and proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, five members from among the members of the House to serve on the said Joint Committee."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I have to inform Members that the following dates have been fixed for receiving nominations and for holding election, if necessary, to the Joint Committee on Offices of Profit :

Number of Members to be elected	.. Five
Last date and time for receiving nominations	.. 22nd June, 1971, up to 3 p. m.
Last date and time for withdrawing the candidature	.. 23rd June, 1971 up to 3 p. m.
Date and time of election	.. 24th June, 1971 between 3 p. m. and 5 p. m.
Place of election	.. Room No. 63 First floor
Method of election	.. Proportional representation by means of the single transferable vote.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE MAINTENANCE OF INTERNAL SECURITY Bill, 1971

SECRETARY : Sir, I have to report to the House the following message received from the

Lok Sabha signed by the Secretary of the Lok Sabha :

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith the Maintenance of Internal Security Bill, 1971, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 18th June, 1971."

Sir, I lay the Bill on the Table.

REFERENCE TO REPORT OF IMPENDING DECLARATION OF EMERGENCY IN WEST BENGAL

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal) : The other day I drew the attention of the House to newspaper reports of Government's intention to declare an emergency. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : But have you taken permission of the Chairman ?

SHRI NIREN GHOSH : Yes, I have. Let me complete it and you will understand.

Shri, Om Mehta was saying that he would bring the matter to the notice of the Government and thereby it was implied that the Government would make a statement thereon. So I demand that statement here.

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF OFFICERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL, 1971

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT/संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (SHRI RAJ BAHADUR) : Sir, I move :

"That the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration."

This Bill raises no controversy. Sometime back when we passed the main Bill in 1953.

the offices of the Deputy Chairman in the Rajya Sabha and the Deputy Speaker in the Lok Sabha were equated with the office of the Deputy Minister. In 1962 for reasons of importance of these two offices, they were equated with the status of the Minister of State. Some how or other, we could not bring forward the Bill in order to remove the anomaly that existed in the matter of allowances and salaries. For some reason or other, including the dissolution of the other House, this could not be done. This Bill is purely a consequential measure giving the status of the Minister of State to the Deputy Chairman and the Deputy Speaker. It is only to remove the anomaly in the matter of salary and allowances that we have brought forward this Bill. I hope that without importing any extraneous consideration in the course of discussion on this Bill, the House will be gracious to uphold the dignity and decorum of the high office of the Deputy Chairman and pass the Bill without much discussion.

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): In the list I have the names of Shri Niranjan Varma, Shri Rajnarain and Shri Bhola Prasad.

SHRI PITAMBER DAS (Uttar Pradesh): I would like to seek one clarification from the hon. Minister. Apart from salary and allowances, what are the other implications of equating the office of the Deputy Chairman to that of the Minister of State?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN): You can make your speech since Shri Niranjan Varma is not here.

SHRI PITAMBER DAS: First of all, I would like to have this clarification.

SHRI RAJ BAHADUR: No other implication except that the office is given a higher status. It is not really fitting that we equate it with the office of the Deputy Minister. We thought it should be equal to the office of the Minister of State. This is in conformity with the decision we have earlier taken, out of deference to these two high offices.

SHRI PITAMBER DAS: What other things does it affect just as it affects salary and allowances?

SHRI RAJ BAHADUR: The Chairman is equal to the Minister. His Deputy is equal to the Minister of State. That is the plain and simple logic.

SHRI PITAMBER DAS: Now I shall speak.

श्रीमन्, जहाँ तक इस बिल के प्रावधानों का प्रश्न है, उनके सम्बन्ध में तो जैसी कि मंत्री महोदय ने कहा कोई कांट्रोवर्सी का प्रश्न नहीं है। और उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि यह ठीक ही किया कि डिप्टी चेयरमैन के स्टेटस को मिनिस्टर आफ स्टेट के स्टेटस के साथ इक्वेट कर दिया। किन्तु इस मौके पर एक बात की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वह यह कि इन हैसियतों के बारे में और इन खर्चों के बारे में—चाहे वह वेतन का हो, चाहे वह एलाउंसज का हो, चाहे वह रहन-सहन का हो—हमें मौलिक रूप से विचार करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं, प्रेस में दिन प्रतिदिन आता भी है, प्रश्नों के उत्तर में भी आता है कि हमारे देश में मंत्रियों के रहन-सहन के ढंग को देख कर और जो ऐश और आसाइश उनको मुहय्या की जाती हैं, उनको देख कर ऐसा लगता है कि एक तरफ तो हम राजा-महाराजाओं को हटाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के जैसा एक दूसरा कैडर तैयार करते चले जा रहे हैं। दूसरा एक क्लास तैयार करते चले जा रहे हैं जो रहन-सहन में, शान शौकत में उनसे कम नहीं हैं। मैं यह समझता हूँ कि जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति है, जो हमारे देश के लोगों की प्रवृत्ति है, जो हमारे समाज की परिस्थिति है, उसे देख कर हम इतने खर्चीले मंत्रिमंडल को और अधिक बढ़ाई नहीं कर सकते। नतीजा उसका यह होता है कि जनता के अंदर पार्लियामेंट के प्रति जो एक आदर और सत्कार होना चाहिए, उसको ठेस लगती है। आज वे लोग यह समझते हैं कि हमारे देश की गरीबी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे मंत्रिमंडल के लोगों के रहन-सहन के ऊपर और उनके अखराजात के ऊपर है। गैर-जिम्मेदारी की कोई बात कहने का मेरा स्वभाव नहीं है।

[श्री पीताम्बर दास]

मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोक सभा चुनाव के परिणाम कुछ भी क्यों न होते हों, हमारे देश के एकाध व्यक्ति कितने ही लोकप्रिय क्यों न हों, परन्तु आम तरीके से लोगों की धारणा उनके प्रतिकूल है। * * *

यह आप समझ कर चलिएगा—मंत्रियों के खर्चे इतने बढ़ते चले जा रहे हैं और विषमता की खाई इतनी चौड़ी होती जा रही है

(Interruptions)

श्री नेकी राम (हरियाणा) : मंत्रियों के लिए क्यों कह रहे हैं इस तरह की बात, * * *

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (राजस्थान) : आपको नहीं दी जाएगी।

श्री नेकी राम : आप ही तो वोट देते हैं प्रिवी पर्स बिल को रोकने के लिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Do not interrupt him.

श्री पीताम्बर दास : मेरी बात अच्छी तरह न सुनी गई हो तो मैं दोहरा दूँ। आज जिस तरीके से हमारे मंत्री लोग रह रहे हैं और जिस तरह से उनके खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके कारण जनता में यह धारणा बनती चली जा रही है कि अगर * * *

श्री राज बहादुर : हमसे क्यों कहते हैं ?

श्री पीताम्बर दास : मैं दूसरे सेन्टेन्स में बिलकुल यही कहने जा रहा था। मैं इतने ही तक चिंतित नहीं हूँ ...

श्री राज बहादुर : यह कहना अच्छी बात नहीं है।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : * * *

संसदीय कार्य विभाग तथा नौबहन और परिवहन संचालन में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : पहले राजनारायण जी के साथ किया जाए।

श्री पीताम्बर दास : हमारे मंत्री जी जरा

जल्दी कर गए... (Interruptions)... मैं दूसरी बात वही कह रहा था। मुझे उनकी चिंता नहीं है। मुझे चिन्ता यह है कि यह ट्रेन्ड जो चल रहा है, यह वहाँ तक जाएगा कि * * *

मैंने शुरू में ही यह बात कही थी कि मैं कोई बात गैर जिम्मेदारी से नहीं कहता, जो बात कहता हूँ सोच समझ कर कहता हूँ। फिर मुझे गैलरीज को प्ले करनी की भी आदत नहीं है।

मैं निश्चित रूप से यह बात जानना चाहता हूँ : जब हमारी योजनाओं का लक्ष्य शुरू से ही यह बताया गया था कि लोगों के जीवन स्तर में डिस्पैरिटी को कम करेंगे, तो हम खर्चों में डिस्पैरिटी को बढ़ाते क्यों चले जा रहे हैं ? इसलिए मेरा सुझाव है—केवल इसलिए नहीं कि मैं मुक्ताचीनी कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं मंत्रियों को हिकारत की निगाह से देखता हूँ—बल्कि इसलिये कि उनका जीवन देशवासियों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। और वह उदाहरण क्या हो यह हम देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने अपने मन की बात कही है। हमारे देश की परम्परा रही है कि हमारे विचार ऊँचे, लेकिन रहन-सहन सादा रहा है। अगर वह व्यवहार मंत्रिमण्डल के रहन-सहन से प्रगट होगा तो उससे पूरे देश के लोगों को, जिसमें मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट भी शामिल हैं, एक प्रेरणा मिल सकती है। इस देश का जिन्होंने नेतृत्व किया है, उन्होंने ऐसे उदाहरण पेश किए हैं, उन्होंने अपने रहने का स्तर सामान्य जीवन के स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। चूँकि आज सरकार चलाने वाले लोग वही हैं, जो एक तरीके से उन नेताओं के उत्तराधिकारी हैं, इसलिए उनके लिए वह काम करना सरल है। मेरी बात का असर अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग हिसाब से पड़ेगा। स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद अलग-अलग पात्रों में अलग-अलग असर दिखाती है, कहीं सीप बन जाता है, कहीं कपूर

बन जाता है, कहीं कुछ और बन जाता है।

मैं इस मौके पर यह सुझाव देना चाहता हूँ कि इन 23 सालों में अगर इस दिशा में नहीं चल पाये तो अभी भी देर नहीं हुई है, हम किसी तरीके से, फिर से देश में वही वातावरण लाने की कोशिश करें जो गांधी जी ने इस देश के लिए निर्धारित किया था।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : The House stands adjourned till 2.00 P. M.

The House adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) in the Chair.

श्री राज बहादुर : श्रीमन्, मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ कि जो पहिले बहस हो रही थी, उसमें श्री पीताम्बर दास जी ने कुछ फरमाया और मैंने भी कुछ कह दिया। मेरी राय है कि वे दोनों लफ्ज, जुम्ले जो हैं, उन्हें एक्सपन्ज कर दिया जाय; क्योंकि वे मुनासिब नहीं लगते हैं। उनको इस बारे में कोई एतराज नहीं है और न वे किसी तरह का एतराज करेंगे। हम भी जिन्दा रहना चाहते हैं और चाहते हैं देश भी जिन्दा रहे।*** इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन लफ्जों को निकाल दिया जाय।

SHRI OM MEHTA : We have no objection.

श्री पीताम्बर दास : जो कुछ मैंने कहा था वह करीब-करीब वही था जो गांधी जी पहले कह चुके हैं। फिर भी अगर आप समझते हैं कि एक्सपन्ज करना उचित होगा, तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR

ALI KHAN) : May be expunged.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि न पीताम्बर दास के आप सदर हैं और न ही श्री राज बहादुर के सदर हैं, आप इस समय इस सदन में सदर के रूप में बैठे हैं और मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आप बिना दूसरों को सुन कर और राज बहादुर की तथा पीताम्बर दास जी की बात को सुन कर यह रूनिंग दे देते हैं कि इस चीज को एक्सपन्ज कर दिया जाय। यह क्या मजाक है। मैं आपसे कृपा कर के कहता हूँ कि आप इस सदन की कुर्सी को अपनी स्वेच्छा पर मत चलाइये। एक बात जो हो गई है, जिसमें किसी ने आपत्ति नहीं की, न वह कोई अनपार्लियामेन्टरी ही है और असंसदीय भी नहीं है, उसको आप एक्सपन्ज कैसे कर सकते हैं। जो सत्य है और श्री पीताम्बर दास जी ने जो भावना व्यक्त की है वह सही है (Interruptions) श्री पीताम्बर दास जी संसदीय प्रथा के जानकार हैं, वे हमारी बात से सहमत होंगे कि पीताम्बर दास जी ने जो कुछ कह दिया है, वह सदन की कार्यवाही का अंग बन गया है। अगर उसको हम चाहते हैं निकाल दिया जाय तो वह निकाला नहीं जा सकता है। आपको इसके बारे में कारण बतलाना होगा कि जो कुछ कहा गया है, वह असंसदीय है और असत्य है। अगर पीताम्बर दास जी के मुंह से असत्य बात निकलती है तो सदन कह सकता है कि इस असत्य बात को काट दिया जाय। मगर पीताम्बर दास जी ने जो बान कही है वह असत्य है, तथ्य है। उन्होंने जो बात कही उसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

जिन्होंने एक बार गांधी जी के साहित्य को पढ़ा होगा, उन्हें मालूम होगा कि गांधी जी ने कहा था कि अगर ऐसे लोगों को सड़क पर लटका दिया जाय तो कोई रोने वाला नहीं होगा। अगर पीताम्बर दास जी ने कोई ऐसी बात कही हो जो अनुचित हो, अनपार्लियामेन्टरी हो, तो उसके निकाले जाने के हक में हूँ और फिर वैसी व्यवस्था की जानी चाहिये। लेकिन

[श्री राजनारायण]

जो बात सत्य है, अनपार्लियामेंटरी नहीं है, उसको कैसे निकाला जा सकता है और जो आपकी व्यवस्था है, वह गलत है। मैं आपकी व्यवस्था का विरोध करता हूँ और सख्त विरोध करता हूँ। चूँकि मैं पार्लियामेंटरी पद्धति का जानकार हूँ और रूलिंग के विरोध करने का हमारा हक है। यह जो रूलिंग है वह संसदीय प्रथा का गला घोटती है। यह अधिकार चेयर को नहीं है कि चेयर मनमाने तरीके से और अपनी स्वेच्छा पर जब चाहे तब कार्यवाही के किसी भाग को काट दे। अगर कोई चेयर इस तरह की बात करता है, तो वह डिक्टेटर होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी व्यवस्था पर विचार करें।

मैं आपसे अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अपनी रूलिंग पर विचार करें कि जो चीज सदन की कार्यवाही का अंग बन गई है, सदन की कार्यवाही का अंग है, जो असंसदीय नहीं है, उसको निकालने का हक चेयर को हरगिज, हरगिज नहीं है, चाहे राज बहादुर कहें या फिर राज बहादुर के प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी कहें। आप श्री राज बहादुर की भृकुट विलासिता पर काम नहीं कर सकते हैं और न ही श्री पीताम्बर दास जी और राज बहादुर के कहने पर अपनी व्यवस्था दे सकते हैं। तो फिर वहाँ राज बहादुर जी बैठें ताकि उनको इस बात की जानकारी हो कि कौन सी चीज कब निकाली जाय। मैं संसदीय प्रथा को सुचारु रूप से चलाने के लिये, सुसभ्य संसदीय प्रथा को कार्यान्वित करने लिये आपसे अदब के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि हे चेयरमैन साहब, हमने सुना नहीं कि आपने क्या कह दिया, लेकिन अगर आपने कोई रूलिंग दी है तो आप कृपा कर के उस रूलिंग को न दें। वह हरगिज-हरगिज सदन की कार्यवाही से नहीं निकाला जा सकता। उसको सदन की कार्यवाही से निकालने की रूलिंग देना अपने को सरकारी पक्ष के मातहत करना है और मैं चेयर को इस तरह का अधिकार देने के लिये तैयार नहीं हूँ।

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर। मेरा यह कहना है कि एक्सपन्ज होने की बाबत जो राजनारायण जी ने कही वह बिल्कुल ठीक बात है। चेयर की तरफ से कोई रिमार्क एक्सपन्ज तब हो सकता है, जब कि वह किसी किस्म का डिफेमेंटरी हो या आबसीन हो या अनपार्लियामेंटरी हो। अगर आप आज*** इस बात को एक्सपन्ज करते हैं तो आइन्दा के लिये एक गलत ट्रेडीशन बन जायगा। इसलिये मैं इनसे सहमत हूँ कि*** राज बहादुर जी घबड़ा क्यों गये। यह बात नहीं है कि रोने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं तो रोने वाला हूँ। मैं राज बहादुर जी को ***

वह तो अलग बात है। लेकिन अनपार्लियामेंटरी यह चीज डिक्लेयर नहीं हो सकती। अब राजनारायण जी से मैं यह अर्ज करूँगा कि जिन्होंने यह बात कही जब वे यह कहते हैं कि मुझे कोई एतराज नहीं है, एक्सपन्ज कर दीजिये तो ऐसी हालत में यह रूलिंग से एक्सपन्ज न हो, बल्कि उनकी मंशा से एक्सपन्ज हो गया, ऐसा माना जाय। (Interruptions) तो यह रूलिंग के जरिये से एक्सपन्ज नहीं हो सकता। लेकिन जिन्होंने यह रिमार्क किया है, अगर वे खुद कहते हैं कि एक्सपन्ज कर दिया जाय तो इसमें चेयर को कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री पीताम्बर दास : श्रीमन्, त्यागी जी ने एक ऐसी बात कह दी, जिसको वे न भी कहते तो काम चल जाता। मैंने यह नहीं कहा है कि एक्सपन्ज कर दिया जाय। मैंने केवल इतना कहा है कि अगर चेयर समझती है कि एक्सपन्ज कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने केवल इतनी बात कही है।

श्री भोला प्रसाद (बिहार) : मैं पार्लियामेंट के अफसरों की तनखाह और भत्ता बढ़ाने

के इस बिल का विरोध कहता हूँ। विरोध करता हूँ, इसलिए नहीं कि ...

श्री राजनारायण : इस एक्सपंज करने वाली बात का क्या हुआ ? प्वाइंट आफ आर्डर । देखिये, मैं आपको बता चुका हूँ पच्चीस बार कि अगर संख्यासुर के बल पर संसदीय बदतमीजी को चलाया जायगा तो मैं उसको बदलित नहीं करूँगा । मैं जानना चाहता हूँ कि चेयर ने मुनने के बाद क्या किया । मैं बोल चुका, त्यागी जी बोल चुके, पीताम्बर दास जी कहते हैं कि मैंने नहीं कहा कि एक्सपंज किया जाय और जो बात थी वह सदन के सामने रखी पीताम्बर दास जी ने ...

श्री शीलभद्र याजी : आप क्या क्या बोलते हैं, उस सबके लिए क्या कहा जाय । उसका कोई हिसाब नहीं रखता है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : There are certain discretions which you have provided for in the Rules and which you have given to the Chair. It is a discretion. .

श्री राजनारायण : क्या डिस्क्रिशन है ? आप हमारी सही बात सुनें तो हम आपकी गलत बात भी सुनें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Please listen to me. When this matter ...

श्री राजनारायण : हू आर यू । यह तो हाउस फील करे ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : When this matter was brought to my notice by both the hon. Members who had spoken, when that expression was brought to my notice, then I felt that there was nothing wrong in directing its expunction. If it would have been a matter of great importance then, not withstanding what both the hon. Members said, I might not have agreed to it. I think it was such a matter in which when both the Members have agreed to it—

I felt there was nothing wrong in expunging it. That is my decision. I may be wrong.

SHRI MAHAVIR TYAGI : So it is not expunction on merits. It is expunction on account of the consent of the parties.

SHRI PITAMBER DAS : Not because of that but because the Chair thought it should be expunged.

श्री राजनारायण : फिर इसको साफ कर लीजिए । मैं आपको साफ बता देता हूँ कि मैं आपकी व्यवस्था को कतई संसदीय प्रथा के प्रतिकूल पाता हूँ । आपकी व्यवस्था अगर यहां जगह पा गयी तो संसदीय प्रथा तो समाप्त हो ही जायगी, किन्तु उसके साथ स्वेच्छाचारिता चलेगी और मैं स्वेच्छाचारिता को चलने देने के मुखालिफ हूँ । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि जब मैं उठूँगा तो इसको बार-बार दोहराऊँगा ।

श्री भोला प्रसाद : मैं पार्लियामेंट के अफसरों को तनखाह और भत्ता बढ़ाने के बिल का विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी तरह पार्लियामेंट के अफसरों की मर्यादा और उनकी सेवा के महत्व को किसी तरह कम करना चाहता हूँ । बल्कि उनकी मर्यादा का खयाल करते हुए ही मैं इस संबंध में सरकार का नीति का विरोध करना चाहता हूँ । एक तरफ सरकार और उसके जरिये प्रधान मंत्री देश की साधारण जनता से त्याग करने की अपील करते हैं कि आज देश पर संकट आया हुआ है । बंगला देश से लाखों शरणार्थी हमारे देश में आये हुए हैं । बंगला देश के मुक्ति आन्दोलन को सहायता करने का सवाल है और इससे जो समस्याएँ पैदा हुई हैं, ऐसी परिस्थिति में देश की जनता को त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए । एक तरफ साधारण जनता से त्याग करने के लिए वे अपील करती हैं और एक तरफ सरकार साधारण जनता की जीवन सम्बन्धी जरूरी चीजों पर टैक्स बढ़ाती है, उसके जीवन की

[श्री भोला प्रसाद]

बड़े-बड़े अफसरों और मंत्रियों की तनखाहों को बढ़ाती है। यह कैसी नीति है? क्या यह नीति देश में विषमता को कम करने की नीति है? या यह देश में विषमता को बढ़ाने की नीति है? एक तरफ जब कि आज देश के अन्दर लाखों नौजवान काम करने के लिए भटक रहे हैं, उनको सरकार काम देने में असमर्थ है, इसलिए कि सरकार कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, एक तरफ सरकार के साधारण कर्मचारी, पियन थर्ड और फोर्थ क्लास कर्मचारियों की तनखाह को वह नहीं बढ़ा सकती और उनकी तनखाह को बढ़ाने का जब सवाल पेश होगा तो वह कहेगी कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन अफसरों और मंत्रियों की तनखाह बढ़ाने के सम्बन्ध में वह बहुत उदार है और इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। एक तरफ हालत यह है कि गांव के अन्दर, मैं बिहार से आता हूँ, वहाँ का एक बड़ा हिस्सा अकालग्रस्त है और वहाँ अकाल पीड़ितों को आज कोई सहायता नहीं मिल रही है और सरकार कहती है कि सरकार के पास अकाल पीड़ितों को सहायता देने के लिए पैसे नहीं हैं। आज गांव में हरिजन, भूमिहीन, गरीब को पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं हैं। देश के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा मुफ्त देने के लिए और उसकी व्यवस्था करने के लिए भी सरकार के पास पैसे नहीं हैं और ऐसे हर काम में सरकार पैसे की कमी का रोना रोने लगती है और दूसरी तरफ वह ऐसी नीति अख्तियार करती है, जिससे कि ऊपरी तबके के लोगों की आमदनी बढ़े। और बड़े-बड़े अफसर, मंत्री या खुद पार्लियामेंट के मेम्बर और विधायक की तनखाह बढ़ती है, इसीलिये मैंने केवल पार्लियामेंट के मेम्बरों की तनखाह बढ़ाने का भी विरोध करता हूँ, बल्कि मैं यह मांग करता हूँ कि सरकार एक दूसरा बिल लाये, जिसमें मंत्रियों की और पार्लियामेंट के मेम्बरों की तनखाह और भत्ता देश की मौजदा स्थिति में कम से कम 25 प्रतिशत कम

करने का प्रस्ताव रखे और मैं समझता हूँ कि हाउस के लोग जो सही मायनों में जनता का ख्याल करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि जनता कुर्बानी करे और उसमें इसकी प्रेरणा पैदा हो और जो सही मायनों में जब जनता से त्याग करने की अपील करते हैं, तो उनकी कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति भी रखते हैं, वह इसका पूरा समर्थन करेंगे। यह त्याग करने की प्रेरणा जनता में तभी हो सकती है जब कि पार्लियामेंट में मेम्बरों और मंत्रियों की तनखाहों और भत्तों में कटौती करे और इसलिये अफसरों की तनखाह बढ़ाने का यह जो बिल है, उसका मैं विरोध करता हूँ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं इस विधेयक का विरोधी हूँ।

श्री ओम् मेहता : आप इसका विरोध कर रहे हो !

श्री शीलभद्र याजी : आदत से लाचार हैं।

श्री राजनारायण : मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस सरकार में कुछ हृदय है या यह सरकार हृदयहीन है। मैं गांधी जी को पढ़ रहा था, गांधी जी ने अन्य प्रसंग में तमाम समाज का विश्लेषण करते हुए यह लिखा है :

“पूजीवाद और युद्ध।

उसमें उन्होंने लिखा है कि युद्ध बड़ा भाई और पूजी छोटा भाई है। दोनों वास्तव में एक ही परिवार के हैं। दोनों का जन्म एक ही आधारभूत मनोवृत्तियों और मान्यताओं से हुआ है। दोनों में बल प्रयोग और हृदयहीनता है। दोनों ही में भेद भावना है, दोनों के प्रतीकों में समान दोष है।”

चूँकि यह सरकार पूजीवाद है, इसलिये मैंने इस समय यह उचित समझा कि गांधी जी का एक उपयुक्त वाक्य इस उपयुक्त समय पर पढ़ दं शायद भाई राजबहादुर के हृदय में हमारी

बात कुछ स्थान पाये और वह अपने विधेयक को वापस ले ले।

इसीलिए मैंने कहा कि यह सरकार हृदयहीन है। सरकारें तो हृदयहीन होती ही हैं, मगर मैं समझता था कि राजबहादुर के पास कुछ हृदय है।

श्री राज बहादुर : धन्यवाद।

श्री नीरेन घोष (पश्चिमी बंगाल) : कुछ है।

श्री राजनारायण : तुम सुनना चाहोगे तो लेनिन को सुनाऊंगा लेकिन बाद में। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज इस विधेयक का समर्थक कौन है। या तो वह पूंजीवादी हो सकता है या तो युद्धवादी हो सकता है। यह आप मत समझिये कि युद्ध आकस्मिक होता है। युद्ध भी एक श्रृंखला है और एक क्रम में युद्ध का होना अनिवार्य होता है।

श्री ओम् मेहता : सर, यह बिल पर बोल रहे हैं।

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : अभी तो बैकग्राउंड बता रहे हैं।

श्री राजनारायण : यह तो समझ ही नहीं सकते। असल में हम राजनीति में फैशन के लिए नहीं आते हैं। कुछ लोग राजनीति में फैशन के लिये आये हैं। हम राजनीति में इसलिये नहीं आये हैं कि प्रधान मन्त्री का हाथ हमारे ऊपर पड़ जाए तो मैं अपने को कृतकृत्य मानूँ। मैं राजनीति में इसलिये नहीं आया हूँ कि राजनीति में चाटुकारिता कर के कोई जगह पा लूँ। राजनीति हमारे जीवन का ध्येय है, राजनीति और धर्म-नीति को एक मानता हूँ। इसलिये मैं राजनीति में आया हूँ और जब मैं यह देखता हूँ कि आज राजनीति में लफंगों की बाढ़ है तो मुझे कभी कभी बहुत परेशानी होती है और मैं इतना परेशान हो जाता हूँ कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि

क्या मैं जो काम कर रहा हूँ, यही राजनीति है? या राजनीति का कोई दूसरा स्वरूप है? तो कभी-कभी सोचता हूँ कि अब हम कोई जीवन आश्रम खोलें। जैसे गौतम बुद्ध के शुरू में छः ही शिष्य थे और उन्होंने छः शिष्यों ने बुद्ध धर्म को दुनिया में फैला दिया, वैसे ही हम भी कभी-कभी सोचते हैं कि ऐसा कोई काम क्यों न किया जाए, जिसमें चार, छः, दस कुछ तो चरित्रवादी आदमी बनें, जिनके अन्दर उनकी वाणी में, उनकी लिखावट में, उनके क्रम में एकरूपता हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : बढ़िया काम होगा।

श्री शीलभद्र याजी : लेकिन वह कभी नहीं होगा।

श्री राजनारायण : इसलिए मैं जब यहां पर इन बातों को कह रहा हूँ...

श्री श्रीमन् प्रफुल्ल गोस्वामी : आपको सर्वोदय में जाना चाहिए।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, ठीक कह रहे हैं हमारे मित्र, मगर मैं आपके द्वारा बता दूँ कि मैं सर्वोदय में आना चाहता हूँ बिलकुल, पर मैं यह जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा है जो सर्वोदयवादी है। (Interruptions) आप ही देख लीजिए, श्रीमन्, मैं कैसे लोगों के बीच में पड़ा हुआ हूँ। यानि जैसे भैंस मतनाती है वैसे मतना रहे हैं। यह संसदीय भैंसे मतना रही हैं—यह क्या है? कहां हम जा रहे हैं, यह हमारा देश कहां जा रहा है? कोई तरीका है, आप एक विधेयक पर विचार कर रहे हैं और हैं-हैं-हैं-हैं—मुंह बना कर हंस रहे हो, यह क्या स्थिति है? और जो चेयर है, वह बेचारा अपने को इतना शक्तिहीन पाता है कि ट्रेजरी बैंच के लोगों को रोकने की उसमें क्षमता ही नहीं रह गई है, यह परेशानी है। मैं चाहता हूँ, जो अपने को स्वाधीनता संग्राम में खपाए हैं, जिनकी अवस्था काफी हो चुकी है, उनसे हाथ

[श्री राजनारायण]

हाथ रख कर देखें कि हमारा देश कितना पतनोन्मुख हो गया है ?

इसी प्रसंग में मैं आपको बताना चाहता हूँ : क्या किसी पद की शोभा पैसे में है ? अगर पद की शोभा पैसे में नहीं है, अगर पद की शोभा कर्तव्य परायणता में है, अगर पद की शोभा जनसेवा में है, तो फिर पद और पैसे को एक में नहीं जोड़ना चाहिए। आज यहां पर संघर्ष खड़ा हो गया है, पैसे में और पसीने में। मैं चाहता हूँ, पसीने की ज्यादा कद्र हो, पैसे की कद्र न हो। मगर हमारे राज बहादुर कहते हैं, नहीं, पैसे की ही कद्र हो। पसीना बहाने वाले जहन्नुम में ...

श्री राज बहादुर : यह कहाँ से समझ लिया आपने ?

श्री राजनारायण : भाई राज बहादुर, जरा ठीक से समझो। एक वाक्य राज बहादुर जी को पता नहीं क्यों बुरा लग गया। हमारे मित्र जनसंघ के नेता पीताम्बर दास जी ने बहुत ही सही बात कही कि आज हमारे देश में जन मानस इतना क्षोभमय हो रहा है कि*** हंसना मत। अगर राज बहादुर जी के दिल में दर्द होगा ...

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : नाम न लीजिए।

श्री राजनारायण : हमारे दिल में भी दर्द होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर उनकी रक्षा के लिए पुलिस न हो और ये चले जाएं—यह मैंने केवल उन्हीं के लिए नहीं कहा, मेरा मतलब मन्त्री से है—आज की कुर्मी कांग्रेस को छोड़ चले जाएं, तो उनकी जो दुर्गंत होगी ...

श्री कल्याण चन्द (उत्तर प्रदेश) : जो आप

की हो रही है, जैसे आपकी पार्टी की हो रही है।

श्री राजनारायण : मैं इसको मानने में कतई इन्कार नहीं कर सकता कि अगर कुर्सी कांग्रेस आज जो व्यवस्था चला रही है वही व्यवस्था एस० एस० पी० भी चलाए तो एस० एस० पी० के मन्त्रियों की भी वही दुर्दशा होगी। इसमें कोई एतराज नहीं है। अगर इसी तरह की व्यवस्था चलानी होती तो श्री नाना साहब गौर और ऐसे अनेक साथी आज मन्त्री बने होते। मगर हमने अपने पसीने की कद्र की, पैसे की नहीं की।

अभी हमारे एक मित्र सर्वोदय का नाम ले रहे थे और वे इस समय चले गए हैं। सर्वोदय क्या है इसको बिना समझे हुए उन्होंने इसका नाम ले लिया। सिर्फ अक्षर का ज्ञान रखने से सब चीज का ज्ञान नहीं आ जाता है। नाना साहब जानते होंगे कि सर्वोदय का जो शब्द है, वह गान्धी जी ने निकाला था। रस्किन ने जो किताब लिखी “अनटु दी लास्ट” इसका जब अनुवाद किया गया तब गान्धी जी ने “सर्वोदय” शब्द निकाला। गान्धी जी ने पहिले वाक्य में लिखा है कि हमारे सर्वोदय समाज में वह व्यवस्था होगी, जिसमें एक नाई और एक वकील के काम की मजदूरी बराबर होगी। यह गान्धी जी का वाक्य है। एक नाई, एक वकील की मजदूर बराबर होगी। गान्धी जी ने नाई को हाथ का प्रतीक माना और वकील को दिमाग का प्रतीक माना। नाई का हाथ और वकील का दिमाग। नाई के हाथ और वकील के दिमाग से यह प्रतिपादित होता है कि हाथ से काम करने वाला और दिमाग से काम करने वाला जो है, उसकी समान इज्जत होगी। जिन लोगों ने मार्क्स के साहित्य को पढ़ा होगा, उन्हें मालूम होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : आप बिल के सम्बन्ध में फरमाइये।

श्री राजनारायण : मैं बिल पर ही आ रहा हूँ । (Interruptions)

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : आपका टाइम खत्म हो गया है ।

श्री राजनारायण : टाइम आपका खत्म हो गया है, हमारा तो चलेगा ।

SHRI RAJ BAHADUR : Sir, it is not proper. He should withdraw it.

SHRI OM MEHTA : He should withdraw it.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE : It must be expunged.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : He did not mean anything.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मार्क्स ने कहा कि नैक्सट फेज आफ सोसाइटी—

“There will be no difference between mental and physical labour.”

(Interruptions)

श्री नेकी राम : श्रीमन्, हमारा एक प्वाइंट आफ आर्डर है ।

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : What do you say, Mr. Rajnarin ?

श्री राजनारायण : मानसिक और शारीरिक श्रम का विभेद मिट जायेगा ।

(Interruptions)

श्री नेकी राम : श्रीमन्, हमारा प्वाइंट आफ आर्डर है । अभी चेयर ने कहा कि आप का टाइम खत्म हो गया है । इस पर श्री राजनारायण जी ने कहा कि चेयर का टाइम खत्म हो गया है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह संसदीय भाषा है । इसको कार्यवाही में से निकाल दिया जाय और आप उनसे कहें कि वे बिल पर बोलें । उन्हें डिसिप्लिन पर रहना चाहिए जब कि वे सबसे कहते हैं कि नियम के मुताबिक काम करो और खद कभी

गान्धी जी की आड़ लेते हैं और कभी किसी दूसरे की आड़ लेते हैं ।

श्री राज बहादुर : ये तो कहते हैं कि धर्म नीति पर चलते हैं । अतः, मैं अपील करता हूँ कि वे इस लफ्ज को वापस ले लें ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं आपसे पुनः अदब के साथ अर्ज कर देना चाहता हूँ कि आप इस बात को यदि समझा सकें तो सम्मानित संसद् सदस्यों को समझा दें कि संख्यासुर के बल पर वे राजनारायण को दबा नहीं सकते । राजनारायण अपनी जगह पर रहते हैं और वे किसी वस्तुस्थिति का विश्लेषण चूँकि संतुलित शब्दों में करते हैं, इसलिये उसका अर्थ जानते हैं । बिना अर्थ जाने अगर कोई यहां पर चाहे कि हल्ला मचा कर हम को झुका दे तो वह झुका नहीं सकता । तो मेरा कहना यह है जैसा कि मैंने शुरू-शुरू में कहा कि चूँकि यह सरकार पूंजीवादी है, चूँकि सत्ताधारी कांग्रेस पूंजीवादी है, यथास्थितिवादी है, इसलिये इस पूंजीवादी सरकार के लिये ऐसा विधेयक लाना अनिवार्य हो जाता है । ऐसे विधेयक अगर इस सदन के जरिये पास होते रहेंगे तो इस सरकार की पूंजीवादी मनोवृत्ति और विकसित होती रहेगी और ऐसे अनेक विधेयक आयेंगे । मैं पूछना चाहता हूँ राज बहादुर सिंह जी ...

श्री राज बहादुर : मेरा नाम पूंजीवादी माननीय सदस्य न बनायें । मैं सिंह नहीं हूँ । इसलिये माननीय सदस्य मेरा नाम राज बहादुर बोलें और उसमें सिंह न लगायें ।

श्री राजनारायण : ठीक है, जो कहिए वही नाम कहेंगे ।

इस समय हमारे यहां प्रति व्यक्ति अन्न का औसत क्या पड़ता है, जरा इसका खयाल किया जाय । 1965 में 414.8 ग्राम एक आदमी पर अन्न का औसत था (Interruptions) 1969 में 390.5 ग्राम प्रति व्यक्ति औसत अन्न हो गया । आप देखेंगे कि 1965

[श्री राजनारायण]

से 1969 में 414 की जगह 390 ग्राम हो गये। इस प्रकार फी व्यक्ति अन्न में कमी हो गई। ये सरकारी आंकड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट इसको जरा ठीक तरीके से देखे।

श्रीमन्, एक तरफ टैक्स का भार हो, आम जनता गरीब हो, उसके रक्त का शोषण हो, उसके खून को चूसा जाय और दूसरी तरफ यह कहा जाय कि स्टेट मिनिस्टर की समानता लाने के लिये हम डिप्टी चेयरमैन की तनखाह बढ़ा रहे हैं। एक स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी चेयरमैन में क्या समानता है। स्टेट मिनिस्टर डिप्टी चेयरमैन के समकक्ष कभी हो ही नहीं सकता। डिप्टी चेयरमैन की महिमा, डिप्टी चेयरमैन की प्रतिष्ठा हमारी दृष्टि से स्टेट मिनिस्टर की प्रतिष्ठा से कई गुना ज्यादा है। डिप्टी चेयरमैन की मैं बड़ी इज्जत करना हूँ। डिप्टी चेयरमैन इस सदन के सम्मानित सदस्यों का श्रद्धा पात्र है, आदर का पात्र है। तो यह कहना है कि डिप्टी चेयरमैन को स्टेट मिनिस्टर की समानता में लाने के लिये उनकी तनखाह में बढ़ोत्तरी की जा रही है, इस दिमाग को मैं चकनाचूर करना चाहता हूँ। ऐसे मस्तिष्क को मैं चकनाचूर करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसा मस्तिष्क कुरेद कर के निकाल दिया जाय, जिससे हमारा समाज शुद्ध हो, जिससे हमारे समाज में ऐसी सरकार की यह हिम्मत न पड़े कि वह स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी चेयरमैन की तुलना करे और उनकी तनखाहों की तुलना करे। स्टेट मिनिस्टर सरकार है। मैं सरकार को पाजी कहता हूँ, मैं सरकार को पापी कहता हूँ, मैं सरकार को लुंगड़ी, लूनी, पंगु और अंधी कहता हूँ, मगर मैं डिप्टी चेयरमैन के लिए इन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं कर सकता। डिप्टी चेयरमैन को मैं श्रीमन् कहता हूँ और उनके लिए आदरसूचक शब्दों का प्रयोग करता हूँ।

श्री शीलमद्र याजी : गालियां भी तो बकते हो।

श्री राजनारायण : इसलिये नहीं कि उनके पास पैसा ज्यादा है या कम है या बराबर है, इसलिये कि वह पवित्र कर्तव्य का पालन करते हैं, इसलिए कि वे संसदीय प्रथा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक प्रतीक हैं। मगर यदि हम डिप्टी चेयरमैन को स्टेट मिनिस्टर के समकक्ष लाने के लिए यह कहें कि उनकी तनखाह बढ़ा दी जाय तो यह डिप्टी चेयरमैन की तोहीन करनी है। यह डिप्टी चेयरमैन की बेइज्जती करनी है और ऐसा करना डिप्टी चेयरमैन में जो कर्तव्य प्रधान भावना है, अधिकार प्रधान भावना केवल नहीं है, उस भावना को निरस्त करना है।

उपसमाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : शुक्रिया।

श्री राजनारायण : देखिये, जल्दी मत करिये। यह सारे देश के जीवन मरण का सवाल है।

SHRI OM MEHTA : Sir, only two hours have been allotted for this Bill.

श्री राजनारायण : अगर पीछे मैं इस तरह का हल्ला करवाइयेगा तो चाहे जो भी नतीजा हो, मगर मैं अपने को रोक नहीं सकता। आज हमारे देश में जहां पर कमाने वाला, अपना पसीना बहाने वाला खाने के बिना मर रहा है, उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, उसके पास रहने को मकान नहीं है, वह सो नहीं पाता, आज वह हमारे देश में रिकशा खींचता है। है कोई यहां बैठा हुआ जो रिकशा चला कर दिखा दे। जाओ, जाकर देखो तो मिलेगा कि वे रात में रिकशा चला कर अपनी लज्जा ढांपते हैं और आज भी उनकी आमदनी बढ़ नहीं रही है। उनकी आमदनी गिर रही है। इसलिये मैं चाहता था कि मैं माननीय सदस्यों को आमदनी के बारे में भी कुछ बता दूँ। 1964-65 में जहां आमदनी 347 थी, आज वहां 321 रह गयी

है। 321 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी औसत हमारे मुल्क की हो गयी है। तो जब औसत आमदनी घटती जा रही हो और केवल मंत्रियों और पदाधिकारियों का, चाहे वे सरकारी हों या संसदीय, उनकी ही सुख सुविधा और तनखाह बढ़ाने की बात हो, तो मैं उसका घोर विरोध करूंगा और घोर विरोध कर रहा हूं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये यहां कोई गलत न समझे। श्रीमन्, अभी मैं जरा गलत बतला गया, उसे जरा ठीक कर लीजिएगा। 1964-65 में औसत आमदनी 333.1 थी और 1968-69 321.1 रह गयी है। वह फीगर 347 बतला गया था। यानी यह आमदनी 12 रुपया घट गयी, प्रति व्यक्ति औसत आमदनी और यह विकासमय देश है, यह विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मैं श्री राज बहादुर जी से जानना चाहता हूं कि विकास किसका हो रहा है? देश का विकास हो रहा है। देश को कमाने वाली जनता का विकास हो रहा है? उसके लिये मैं सीधे कहना चाहता हूं कि यह सत्ता किस की है? किसके हाथ में सत्ता है? श्रीमन्, गांधी जी ने एक जगह कहा था और मैं चाहूंगा कि गांधी जी के इस वाक्य को लोग याद करें कि जिस शासन में अंतिम सत्ता किसानों और मजदूरों के हाथ में नहीं है वह स्वराज्य नहीं है। स्वराज्य का अर्थ गोरे नौकरशाहों के स्थान पर गेंदुए वर्ण के लोगों का आ जाना ही नहीं है। यह गेंदुएं नौकरशाह हैं जो आज सत्ता पर हावी हो रहे हैं और उसे मनमाना चला रहे हैं और जो कमाने वाली जनता है, मेहनतकश जनता है, दौलत पैदा करने वाली जनता है, जो कल-कारखानों में काम करती है, जो खेतों में काम करती है उसकी ओर सरकार देखती नहीं, केवल उनका शोषण करती है और उनके शोषण पर गुलछरें उड़ा रहे हैं, ऐशोद्भारत की जिन्दगी बिता रहे हैं। हम इसलिये बता रहे हैं कि हम काशी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं। जब काशी विश्व-विद्यालय की स्थापना हो रही थी, तो गांधी

जी ने वहां क्या कहा था जरा सुनिये। वहां बड़े बड़े राजा महाराजा अपने जवाहरात पहन कर आये हुये थे, तो गांधी जी ने कहा कि यह गरीबों का खून राजाओं के जवाहरात में चमक रहा है। तब राजा लोग बड़े रंज हो गये और मालवीय जी को कहने गये कि यह आपने गांधी जी को क्यों बुला लिया। क्या यही बात सुनाने के लिये। मालवीय जी ने कहा कि मैं कैसे रोक सकता था। गांधी जी को आना था, हमने बार बार अनुनय विनय किया इसलिये गांधी जी आये। तो सच्ची बात अगर मैं कहूं और कुछ चपरगट्टुओं को बुरा लगने और उनके रंज होने का मुझे कोई गम नहीं है। हम सच्चाई को जानते हैं। मैं, श्रीमन्, आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या स्वतः—अपने दिलों को टटोलें इस विधेयक के पक्षपाती हैं। मैं समझता हूं—कि अगर अपनी बुद्धि के साथ न्याय आप करेंगे, तो आप हमारे साथ आयेंगे और कहेंगे कि हां इस विधेयक का इस समय यहां पर लाना उचित नहीं था, अनुचित था। हम आपकी भावनाओं को जानते हैं। हमें याद है कि आपने प्रस्ताव रखा था कि इस समय 10 फीसदी या 15 फीसदी हम लोग की तनखाह कम कर दी जाय, मंत्रियों की तनखाह कम कर दी जाय। डिप्टी चेयरमैन की तनखाह बढ़ा करके क्यों समता लाना चाहते हैं, स्टेट मिनिस्ट्रों की तनखाह घटा करके अगर समता लाना चाहते हैं, तो समता लावें। मैं इसीलिये कहना चाहूंगा कि बड़े बड़े इंजीनियरों, बड़े बड़े डाइरेक्टरों, बड़े बड़े मैनेजरों, बड़े बड़े सचिवालय के सचिवों, बड़े बड़े मंत्रियों स्टेट मिनिस्ट्रों और डिप्टी मिनिस्ट्रों, इनकी तनखाहों को घटा दो।

श्री शीलभद्र याजी : अलग से बिल लावो।

श्री राजनारायण : हमारे पास पैसा नहीं है और इस तरह समता लाना चाहते हैं। हमारा कहना है कि बड़ी से बड़ी आमदनी और छोटी से छोटी आमदनी में 1 और 10 से ज्यादा का फर्क न हो। समाजवादी अपने को कहने वाले समाजवाद का अर्थ भी नहीं लगाते,

[श्री राजनारायण]

वह हैं कुर्सी-कांग्रेस के लोग। समाजवाद में सामान्य समता और समृद्धि है। कोई यह न सोचे कि इस विधेयक का मैं विरोध करूंगा, तो डिप्टी चेयरमैन का अनादर होगा। मैं डिप्टी चेयरमैन का आदर करना चाहता हूं। मैं डिप्टी चेयरमैन को श्री पीताम्बर दास जी के शब्दों में उन स्टेट मंत्रियों के समकक्ष नहीं लाना चाहता हूं, उनकी तुलना में नहीं लाना चाहता हूं, उनकी श्रेणी में नहीं लाना चाहता हूं कि उनके लिये भी जनता समझे कि यह भी हमारी खून की कमाई से अपनी तनख्वाह को बढ़ा रहे हैं इसलिये इनको भी ऐसा करो। मैं नहीं चाहता कि वह वहां आयें। वह वहां नहीं आयें।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : अब आप खत्म कीजिए।

श्री राजनारायण : मैं पहले ही खत्म हो गया होता अगर आपने शीलभद्र याजी को रोक दिया होता।

तो मैं आपसे बार बार कहूंगा कि इसमें डिप्टी चेयरमैन के आदर या डिप्टी चेयरमैन के अनादर का सवाल न उठाया जाय, डिप्टी चेयरमैन को स्टेट मिनिस्ट्रों के समकक्ष लाने की धृष्टता न की जाय। डिप्टी चेयरमैन का स्थान किसी से भी ऊंचा है, प्रधान मंत्री से भी ऊंचा है। डिप्टी चेयरमैन के मुकाबले में प्रधान मंत्री क्या हैं, डिप्टी चेयरमैन के मुकाबले में राज्य मंत्री या कोई भी मंत्री क्या है। डिप्टी चेयरमैन के पास जो कर्तव्य है वह है। हम कर्तव्य को प्रधानता देते हैं केवल अधिकार को प्रधानता नहीं देते और हमारे भाई राज बहादुर जो चाहते हैं कि अधिकार को प्रधानता दें और हम इनको भी स्टेट मंत्रियों की तुलना में लाकर के जनता को निगाह में गिरा दें। इसलिए डिप्टी चेयरमैन जनता की निगाह में जितने हैं वहीं पर रुके रहें, उससे और नीचे न गिरें इसको चाहते हुए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और

चाहता हूं कि यह विधेयक राज बहादुर जी को फौरन फौरन वापस लें। इस विधेयक से सारे देश में क्षोभ का वातावरण पैदा होगा, मजदूरों में होगा, किसानों में होगा, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में होगा। उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिये सरकार आंसू बहाती है, कहती है कि पैसा नहीं है और अपने लोगों की तनख्वाह बढ़ाने के लिये जिनके हाथ में ताकत है वहीं ताकत का इस्तेमाल अपने लाभ के लिये करते हैं ऐसी जनता में अनादर की भावना न बढ़े। तो मैं चाहता हूं कि आप स्वतः हमारी भावना को इस सरकारी पक्ष के लोगों तक पहुंचा दें, किसी तरह से सदन को स्थगित कर के पहुंचा दें, आधा घंटे तक यह सदन स्थगित हो, इनको चेम्बर में बुलाइये और सरकार को समझाइये कि देखो ऐ सरकार यह तुम्हारा कर्म पापी होगा, इस पापी कर्म से विरत हो, इस कर्म को अगर करोगे, तो जनता की निगाह में तुम डिप्टी चेयरमैन को गिरा-दोगे इसलिये चेयर भी सलाह देता है कि इस विधेयक को सरकार वापस ले ले। जो गांधी-वादी अपने को कहते हैं, कहना चाहता हूं कि जब तक गांधी जी ज़िंदा रहे, उनका बराबर विरोध किया ...

श्री शीलभद्र याजी : असत्य है।

श्री राजनारायण : असत्य नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं।

श्री शीलभद्र याजी : यह इतने कपटी हैं कि घड़ियाल के आंसू बहाते हैं और तरह तरह की बात करते हैं। यह कहते हैं हमारी सरकार पूंजी-पति है, यह सरकार सोशलिस्ट नहीं है। तो यह इलेक्शन में चित क्यों खा गये ...

श्री राजनारायण : इलेक्शन में हम नहीं चित खाए, इंदिरा गांधी खा गईं।

श्री शीलभद्र याजी : शरम नहीं आती है।

श्री राजनारायण : शरम नहीं आती है कहते हो, मैं आज चुनौती देता हूं, राय बरेली

में हमको और इन्दिरा गांधी को खड़ा कर दो और चुनाव करा लो—मत-पत्रों का तस्कर व्यापार करने वाली इन्दिरा। बदतमीजी की सीमा के बाहर न रहो, सीमा के अंदर रहो... (Interruptions) शर्म नहीं आती है। इधर की बात करते हो, उधर की बात करते हो, कायदे की बात समझते नहीं हो। हल्ला मचाते हो। यह विह्वल बनता है, लोगों से कहता है उठो, उठो। विह्वल बनेगा, शर्म नहीं आती उसको संसदीय बदतमीजी की बात करने वाला भड़काना चाहता है ?

श्री महावीर त्यागी : आन् ए पौइन्ट आफ आर्डर, सर। जो मेम्बरान ने आपस में बात-चीत की है और जिस तरह से एक दूसरे को बदतमीज वगैरह कहा है, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यह हाऊस की डिग्निटिके खिलाफ है, इसलिये इन इल्फाज को एक्स्पन्ज किया जाना चाहिए। Technically that should not be allowed to go on record.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I will look into the record and consider it.

श्री शीलभद्र याजी : मैं कह रहा था कि हमारी सरकार पर उनका दोषारोपण है कि यह पूंजीपतियों की दलाल है, यह समाजवाद की ओर नहीं जा रही है। सारी जनता ने मध्यावधि चुनाव, जिसका वह जिक्र कर रहे थे, इसमें देखा कि राजनारायणजी मजा चख गये, और लोग भी चख गये। जनता का माफ-दंड चुनाव होता है। राजनारायण जी के बोलने से सरकार का कैरेक्टर पूंजीवादी होने वाला नहीं है।

श्री राजनारायण : अगर चेयर यह राय माने, जो सदन की राय है, तो मैं समझूंगा देश का कल्याण होगा और जो खाऊ-पीऊ मौज-लेवा, सर्वग्रासी मनोवृत्ति से सरकार चल रही है, उससे सबका छुटकारा हो।

श्री शीलभद्र याजी : माननीय वाइस

चेयरमैन, मैं इस विधेयक को तार्ईद करता हूं। मुझे पता नहीं कि बिल तो इतना सीधा सादा है लेकिन राजनारायणजी जब बोलने लगते हैं, गांधीवाद से लेकर लोहियावाद और मनुस्मृति, सारी चीजों को बोलते बोलते समय ले लेते हैं। राजनारायणजी ने देश की जो आमदनी है आम जनता को उसका हिसाब दिया। यह सब देने की आवश्यकता नहीं थी। बिल तो सीधा है। यह जो 400 रु० लेते हैं कौन पूंजीपति से लेते हैं, हिसाब दीजिए...

श्री राजनारायण : श्रीमन्, यह क्या पूछते हैं। सीधा बतलाएं।

श्री शीलभद्र याजी : वे तो सारी जनता का हिसाब लगाने लगते हैं लेकिन अपने शरीर की नाप-तौल का कितना खा जाते होंगे, उसको जानकर आपको आश्चर्य होगा। लेकिन मैं उनका भंडाफोड़ नहीं करूंगा। मैं यह कहूंगा कि राजनारायणजी यदि सचमुच डिपुटी चेयरमैन और डिपुटी स्पीकर की इज्जत करते हैं, तो जब आप अपना वेतन बढ़ाने देते हैं, तो उनका...

श्री राजनारायण : श्रीमन्, पौइन्ट आफ आर्डर। आप जानते हैं कि 20 रु० जो मेम्बर्स का भत्ता बढ़ा है, इसी शीलभद्र याजी के कहने पर हमने उसको नहीं लिया। शीलभद्र याजी ने यह कहा था कि क्या आप नहीं लोगे ? हमने कहा नहीं लेंगे। अगर शीलभद्र याजी में तनिक भी इन्सानियत हो, तो शीलभद्र याजी आज विधेयक लाएं कि जो 20 रु० भत्ते के बढ़ाएं थे वह कट जाएं।

श्री शीलभद्र याजी : हम आपकी तरह हिपोक्राइट नहीं है। जो हम करते हैं सारी जनता के लिए करते हैं। इसलिए जब हम डिपुटी चेयरमैन और डिपुटी स्पीकर की मर्यादा को, उसके जीवन स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, कि इतना वेतन करेंगे, तो उसको सदन को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इसलिए मैं राजनारायण जी से, बात सीधी यह है

[श्री शीलभद्र याजी]

कि जब हम लोगों का वेतन बढ़ता है और लोगों का बढ़ता है, तो राजनारायण जी विरोध नहीं करते हैं। उन्होंने इस बिल का विरोध किया। वे 20 रुपये बांट देते हैं वह दूसरी बात है।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, यहां पर असत्य कहा जा रहा है और यह नहीं होना चाहिए। मैंने इस सदन में आपके द्वारा चिट्ठी लिखी कि बंगला देश के लिए जो स्वतंत्र सेनानी लड़ रहे हैं उनको हमारा वह रुपया जो बचा हुआ है स्कालरशिप देने के बाद, वह उसको भेज दिया जाना चाहिए। पांच हजार से ज्यादा रुपया श्री कर्पूरी ठाकुर को हमारा बंगला देश के भाइयों के लिए भेज दिया गया। कर्पूरी ठाकुर ने बंगला देश के लिए सबसे ज्यादा काम किया है और जब वे बिहार के चीफ मिनिस्टर थे तो यह रुपया उनको भेज दिया गया था और उन्होंने वह रुपया राज्यपाल को भेजने के लिए दे दिया। आपके कार्यालय द्वारा जो ड्राफ्ट था वह वहां भेज दिया गया। उस रुपये को हम अपने बालबच्चों के लिए खर्च नहीं करेंगे।

(Interruptions)

श्री शीलभद्र याजी : वाइस चेयरमैन साहब, वे सबसे ज्यादा रुपया पूंजीपतियों से लाते हैं और इनको यह लाने की कला आती है। इसके सम्बन्ध में जितनी कला है यह सब इनको मालूम है।

(Interruptions)

SHRI MAHAVIR TYAGI : How many people are speaking? Why are you allowing?

श्री राजनारायण : श्रीमन्, ओम् मेहता को भी हमने देखा अपनी आंखों से देखा कि हल्ला कराके लोगों को भड़काते हैं। मैं आप से कहना चाहता हू कि अगर हमको संसदीय प्रथा चलानी है तो बिहप कौन बनेगा, उसकी कसौटी होनी चाहिये, उन्हें मर्यादा सीखनी चाहिए।

(Interruption)

श्री ओम् मेहता : यहां पर कोई भी मेम्बर भड़काने से नहीं बोलता है।

श्री राजनारायण : उन्होंने कबूल किया है और हम उनकी तारीफ करेंगे।

(Interruption)

श्री ओम् मेहता : मैं किसी मेम्बर को नहीं उभाड़ता हूं, वे जो बोलते हैं तो आपके उभाड़ने से बोलते हैं।

श्री शीलभद्र याजी : क्या बदतमीजी की बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। मैं राजनारायण से कहना चाहता हू कि वे मर्यादा के अनुसार काम करें और राज्य सभा की मर्यादा को भी सामने रखें। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं उससे हमारी सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और इससे तो आपका ही बिगड़ेगा। आपकी तो आजकल बुरी हालत हो गई है।

श्री भोला जी का भाषण हुआ, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। वे किसान और मजदूरों की भलाई करने की बात कहते हैं। वे किसानों और मजदूरों की माली हालत ठीक करने की बात कहते हैं। मैं उनसे अर्ज करना चाहता हू कि इस सरकार ने देश में समाजवाद की स्थापना करने का संकल्प लिया है और इसका मतलब यही होता है कि देश में किसानों और मजदूरों की हालत में सुधार किया जायेगा।

श्री राजनारायण जी तो चाहते हैं कि मिनिस्टर की सैलरी घटा दी जाय, मेम्बरों की सैलरी घटा दी जाय, अगर अभी राजनारायण जी मंत्री होते तो वे इस तरह की बात कभी नहीं करते। इसलिए हमारे लिए यह मौजू है, मुनासिब है कि इस विधेयक की तारीफ करें और अनापशानाप बातें न करें। उन्हें इस तरह की बातें कहकर सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहिए। (Interruptions) यदि चेयरमैन

की तनखाह बढ़ती है तो यह उनकी इज्जत है, अगर स्पीकर भी बढ़ती है तो यह उनकी इज्जत है। इसलिए इस विधेयक को मान लेना चाहिये क्योंकि जो पद इन लोगों ने सम्भाले हैं यह चीज उसके लायक है। इस विधेयक में किसी प्रकार का अड़ंगा नहीं लगाया जाना चाहिए। ये लोग किसान और मजदूरों के नाम पर घड़ियाल के आंसू बहाते हैं, तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन्हें बाहर बहाने चाहिए और यह जो विधेयक है उसका समर्थन करना चाहिये। श्री राजनारायण जी को भी इस बिल का समर्थन करना चाहिये।

श्री महावीर त्यागी : श्रीमान्, मैं इस बात को तसलीम करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट का रवाज जब से स्वराज हुआ तब से कुछ गलत रास्ते पर चल पड़ा है। मुझे याद आता है कि महात्मा गांधी की श्री जगजीवन राम से मेरे सामने बात हुई थी और उन्होंने यह कहा था कि अगर मिनिस्टर लोग चटाई पर बैठ कर काम करें और बड़े बंगले में जाने के बजाय छोटे मकान में बैठ कर काम करें तो ज्यादा अच्छी सेवा होगी। गांधी जी के अपने नियम थे और वे यह चाहते थे, पर फिर बात चली नहीं.....

श्री कल्याण चन्द : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब महात्मा गांधी ने यह बात कही थी श्री जगजीवन राम से तो आप भी तो मंत्री थे, आप ही यह शुरू कर देते ताकि कम से कम यह प्रथा चल जाती। (Interruptions)

श्री महावीर त्यागी : अब मुझे इजाजत है, कुछ कह सकता हूँ। (Interruptions) अच्छा साहब, आपको अख्तियार है, आप मुझे गालियां दे सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि अब तो हम को डिटेल करने का भी अख्तियार हो रहा है और आप जो चाहें वह कर सकते हैं। गांधी जी ने जो कहा था उसके अनुसार अगर कहीं सादगी के तरीके से हम रास्ता चले होते तो आज गवर्नमेंट की हालत बिल्कुल दूसरी होती। आडम्बर में, रोब दिखाने में,

शान के साथ आम जनता के अन्दर छत्र लगा कर चलने में या बड़ी सलामिया लेने के बाद जो सवारियां निकलती हैं उसकी वजह से इज्जत नहीं होती है। असली इज्जत सबकी सेवा करने से और सादगी से होती है। गांधी जी की इज्जत नंगे रहने के बावजूद भी मिनिस्ट्रों से ज्यादा थी। गांधी जी के कहने से अगर वह सच्ची सेवा की भावना और सादगी हम अख्तियार कर लेते तो आज खर्चा इतना नहीं बढ़ता और आज जो हिन्दुस्तान की हालत बिगड़ गई है वह नहीं बिगड़ती। असल में हम गलत रास्ते पर चल पड़े। आडम्बर और शान से रहने में हम यह समझते हैं कि हमारी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन उससे हमारी इज्जत बढ़ नहीं रही है।

मैं आज हाउस को याद दिलाऊंगा कि औरंगजेब बड़ा बदनाम शहंशाह हिन्दुस्तान के इतिहास में हुआ है, लेकिन उस औरंगजेब का नाम याद करके हमारा गांधी जी की तरह उसके प्रति भी सिर झुक जाता है। अपनी वसीयत में औरंगजेब ने लिखा है कि 4 रु० 2 आने जो मैंने टोपी सिल कर कमाये हैं वे महलदार आवा बेग के पास जमा हैं मेरे मरने के बाद वे 4 रु० 2 आने उससे वसूल कर लिये जाय और गिज्जा—गिज्जा शायद खदर को कहते हैं—का कफन मेरे लिये बनाया जाय और कफनाने और दफनाने में सरकारी खजाने का एक पैसा भी खर्च न किया जाय। उसने यह भी लिखा है कि 500 और कुछ रुपये जो मैंने कुरान शरीफ की नकल करके कमाये हैं वे मेरे बटुए में पड़े हैं। कुरान शरीफ की कमाई का निजो इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, इसलिये मेरे मरने के बाद वह रुपया मेरे बटुए से निकाल कर फकीरों को बतौर जकात तकसीम कर दिया जाय। उस बादशाह औरंगजेब के मरने के वक्त उसकी कुल जाय-जाद इतनी थी कि 4 रु० 2 आने टोपी सिलने की कमाई थी और 500 और कुछ रुपया कुरान शरीफ की नकल करने की कमाई थी। इसके अलावा उसके पास और कल नहीं था

[श्री महाबोर त्यागी]

हिन्दुस्तान ऐसी चीजों का बहुत आदी रहा है और वह लाइन आज बहुत अच्छी होती।

मुझे याद है कि जब महात्मा गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जवाहरलाल जी की क्या है चूकि जवाहरलाल जी में और मेरे में बड़ा फर्क है। यह हिन्दुस्तान के आजाद होने के पहले की बात है। मेरा कहना है कि अंग्रेज हिन्दुस्तान में रह जायें, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, पर अंग्रेजियत चली जाय और जवाहरलाल जी यह चाहते हैं कि अंग्रेज चले जाय लेकिन अंग्रेजियत रह जाय। तो मुझमें और उनमें यह फर्क है। जवाहरलाल जी बेचारे आज नहीं हैं। बड़ी मुल्क की उन्होंने खिदमत की है, मुल्क उनका मद्दा है। उनके मरने के बाद कुछ कहना ठीक नहीं लगता है, लेकिन एक गन्त रास्ता उन्होंने चला दिया। गांधी जी का रास्ता अगर अख्तियार कर लेते क्योंकि वह ऐसे नेता थे कि वह अगर उस रास्ते को अख्तियार कर लेते तो हमेशा के लिये वह रास्ता बन जाता, लेकिन अगर आज भी क्रांति करना चाहते हों तो कैबिनेट को अधिकार है, वह अपने रास्ते को बदल कर सादगी के रास्ते पर चले जाय और उससे मेरा ख्याल है कि लोगों में बड़ा इन्सपिरेशन भी आयेगा, गरीब लोगों में जान आयेगी और मिनिस्ट्रों की इज्जत बढ़ेगी। लेकिन उसका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। वह सादगी का जो ढंग है, गवर्नमेंट के लिये, उसके लिये, जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा कि राजनारायण जी कोई दूसरा विधेयक ले आयें। इसमें सरकारी तनखाह वगैरह घटाने की चर्चा कर दी यह तो ठीक है लेकिन इस बिल से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। अब जो हमारा राज्य-सभा का सेक्रेटरी है उसकी तनखाह कम हो और किसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी की तनखाह ज्यादा हो यह चीज तो मुनासिब नहीं है। तो इस लिये सेक्रेटेरियट को भी बराबर के लेबल पर रखना है, हमको राज्य-सभा सेक्रेटेरियट की हैसियत को मेन्टेन करना

है और अगर सबकी तनखाहें घटेंगी तो उनकी भी तनखाह घटेगी, मिनिस्ट्री की जब घटेगी तो उनकी भी घटेगी। अब सवाल रहा डिप्टी चेयरमैन की तनखाह की बाबत। राजनारायण जी ने भी कहा कि हमारे चेयरमैन तो एक घंटे के लिये आकर यहां बैठते हैं। उनकी तनखाह कितनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सारा काम तो डिप्टी चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन वगैरह करते हैं और तमाम हाउस उन्हीं की मार्फत चलता है। मैं तो यह कहता हूं कि, आप करेंगे आप के रहते हुए कह रहा हूं, शायद आप को नागवार न गुजरे, लेकिन वाइस चेयरमैन की तनखाह का जिक्र भी इस में होना चाहिए था। इस वक्त जो तनखाह बढ़ाई जा रही है यह मिनिस्टर आफ स्टेट के बराबर की तनखाह की गई है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे डिप्टी चेयरमैन को प्रोटोकाल के हिसाब से मिनिस्ट्रों के बराबर होना चाहिए, तनखाह उनकी चाहे कितनी ही हो। उनकी स्टेट मिनिस्टर के बराबर स्थिति बनाना तनखाह के जरिये, यह मुनासिब नहीं है। तनखाह बढ़ाई जाय, यह ठीक है, लेकिन उनका स्टेट्स प्रोटोकाल के हिसाब से कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर आना चाहिए। हां तो मुनासिब यह है कि वह उनसे ऊंचे आयें क्योंकि आखिरकार वह हाउस को कमांड करते हैं और राज्य-सभा के डिप्टी चेयरमैन वह हैं, तो इसलिये मिनिस्टर को हैसियत डिप्टी चेयरमैन के मुकाबले कुछ नहीं रहती है।

जहां तक डिप्टी चेयरमैन महोदय का ताल्लुक है मेरी राय है कि वे निहायत खूबी और काबिलियत के साथ काम को चलते हैं और उनकी बाबत किसी को शिकायत नहीं है। ऐसी हालत में इस बिल की कोई चीज काबिले एतराज नहीं है। जो बातें राजनारायण जी ने उठाई हैं वे दूसरी जगह हो सकती हैं और गवर्नमेंट पर इसके लिये जोर दिया जाना चाहिये। खर्चा इतना बढ़ता जाता है कि कहा

नहीं जा सकता। लाखों रुपया गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है। तो अगर गवर्नमेंट खुद कोशिश करे और कैबिनेट के मिनिस्टर और हमारे मेम्बरान भी खर्चा कम करें और उसमें हम लोग सहयोग करें गवर्नमेंट के साथ और इस तरह देश के सामने एक चीज रखें तो और इस तरह की कुर्बानी देश के सामने लायें कि हम निहायत सार्दा जिन्दगी में वहां रहते हैं तो देश के सामने सदन की और हमारी इज्जत बढ़ेगी, लेकिन यह भी जो कुछ है उसका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं। जब तक स्टेट्स रही है तब तक अपने सेक्रेटरीज को वही तनखाह देना कोई बेजा बात नहीं होगी। मैं इस बिल की तार्ईद करता हूं इस प्रार्थना के साथ कि आज जो मांग यहां पैदा हुई है सादगी वाली इस पर भी गवर्नमेंट शीघ्रतिथी विचार करे।

SHRIMATI YASHODA REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I quite agree with Mr. Tyagi when he said that quite a lot of the things which the hon. Members have said on this occasion, though pertinent, are highly irrelevant as far as this Bill is concerned. I must tell the Government that the Bill they have brought now is at a very wrong time and certainly it is open to the criticism which the Members of the House have made. Sir, this Bill relating to salaries and allowances for the Deputy Chairman and the Deputy Speaker should have been brought earlier and I do not think the very few Members would have raised any objection. It should have been brought at the time when their status was elevated and made to the status of Ministers of State. This criticism would not have come at that time but just after the elections, just after the socialist slogans and just after Budget, when the Government of India and the people of the country are facing the critical times, they have chosen this time. I had agreed, Sir, to many things which we are having and which might not be fit for a country, but rightly or wrongly we have accepted them. I have nothing to quarrel with Shri Rajnarain. He said very relevant things and in every word of his, he quoted Mahatma Gandhiji. I do not want to take upon myself to quote Gandhiji, but I would

like to say that very few people are there who want to do service to the country or to the people and still not take salaries. Certainly, Sir, how many great people like Gandhiji can we get in a country? Unless a person is very great, unless a person is that great, I can assure him, people do not do the work and if there are many like that in a country, it would be better not only for India but for the whole universe. When it comes to emoluments and taking money, you may say something, but we all do take it—some take little and some little less. But certainly we cannot judge the service with money.

If you want to reduce the salaries, go all over the set-up of the Secretariat, of the Ministries, and bring another Bill and change the administration. But it should not be linked with this Bill. Mr. Rajnarain said that the people who do the manual labour get much less. I agree that there are people who do not get anything at all today, but I want to ask him one question. What is the extent of the mental agony, the mental annoyance and the psychological fortitude that the hon. Deputy Chairman has to face in a House like this?

AN HON. MEMBER: With Mr. Rajnarain in it.

SHRIMATI YASHODA REDDY: I do not want to express your intelligence like this, but I can say that he would have gone mad if he had to handle a House like this, with nearly 250 Members—with different views and different tempers—I do not envy the job of a Deputy Chairman or a Deputy Speaker, Sir. I say, the extent of his mental agony is not equal to the wages that he getting—they are not anything higher. If you are able to give so much to a Minister or to an Officer, I can also consider the way you are paying to a gentleman who is presiding today over the Rajya Sabha or the Lok Sabha—the wage they are getting is certainly not remunerative enough in comparison to the agony they undergo, even in terms of the money and the service.

Lastly, Sir, I would like to say that I would like to save the money for the nation, but ...

SHRI CHITTA BASU (West Bengal)
Why you only? We also want it.

SHRIMATI YASHODA REDDY : Sir, only one thing more I would like to say about the money that we are paying for these two gentlemen. If our Members talk less and consume less time of the House, the huge amount of the money that the nation has to pay for the irrelevant, unwanted talk—that you are hearing from morning till evening ...

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal) : This is a reflection on the House itself.

SHRIMATI YASHODA REDDY : No, it is not a reflection on the House. It is with the permission of the Chair and the Members must realise the amount of time we waste in the name of the people, in the name of the country. I do say, there is no reflection on the House. I am quite responsible. I know we do waste our time.

SHRI A. P. CHATTERJEE : May I rise on a point of order ? Every minute and every hour of this House at least statutorily is well-spent and if a particular Member gets up and says that we speak irrelevantly and the time is wasted, I think it is a serious reflection on this House and these words should not be there and should be expunged because it is contempt of this House. The House actually knows that it spends its time profitably and in the interests of democracy and unless we spend this time in this fashion the fabric of democracy would be in danger. If we took a little time that only shows that we took it in order to prove the blames and difficulties of the Government, otherwise how can the faults of the Government come out ?

श्री शीलभद्र याजी : जो यशोदा बहिन कह रही है वह भी सही हो गया—चोर की दाढ़ी में तिनका ।

SHRI BIPINPAL DAS (Assam) : Mr. Chatterjee has proved her correct.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, पौइन्ट आफ आर्डर ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : About this point of order I will say something. I think, as Mr. Chatterjee ...

श्री राजनारायण : मैं वही पौइन्ट आफ आर्डर पर बोल रहा हूँ ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : पहले उनके पौइन्ट आफ आर्डर को डिसपोज आफ करता हूँ ।

श्री राजनारायण : आप पहले संसदीय प्रथा को देखिये । अगर कोई सदस्य पौइन्ट आफ आर्डर रोज करता है, तो उसके पक्ष अथवा विपक्ष में दूसरे सदस्य अपनी राय भी तो दे सकते हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : That is not necessary.

SHRI MAHAVIR TYAGI : Her speech was much more sweeter than Rajnarainji's.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : It is a question of principle. So far as the point of order is concerned ...

श्री राजनारायण : आप कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं ? क्या आप चाहते हैं कि कोई सम्मानित सदस्य पौइन्ट आफ आर्डर रोज करे, तो उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : नहीं ।

श्री राजनारायण : नहीं, यह बिल्कुल गलत है । योर ओपिनियन शुड बी लिमिटेड । देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ । आप अनावश्यक सदन का समय नष्ट कर रहे हैं ।

श्री नवल किशोर : ही इज राइट । अगर कोई सदस्य पौइन्ट आफ आर्डर रोज करे और दूसरा सदस्य बोलना चाहे, तो कैसे कह सकते हैं वह नहीं बोल सकता है ।

SHRI RAJNARAIN : Never.

SHRI PITAMBER DAS : Since that is a procedural matter, I want to submit that there are some point of order raised who even the

Chair would like to hear the Members. But, if the Chair does not want to help, we cannot express our views as a matter of right. Only if the Chair wants or invites, we can.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I do not want.

श्री राजनारायण : इसीलिये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : आप बैठ जाइये। नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता, आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

I think Mr. Chatterjee, as you are entitled to express your views, the Lady Member also is fully entitled to express her views.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं संसदीय प्रथा के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आज एक डेमोक्रेटिक प्रथा है, एक डिक्टेटोरियल प्रथा है—एक जनतन्त्रीय है एक तानाशाही जनतन्त्रीय प्रथा है...

श्री शील भद्र याजी : जिसका नमूना आप हैं।

श्री राज बहादुर : यह एक नयी थियरी है।

श्री राजनारायण : जरा सुन लीजिये, घबड़ाइए मत। आज की सरकार नित्य प्रति इस प्रयत्न में है कि संसद कम बैठे, संसद में कम समय लगे। वह चाहती है कि दो महीने, एक महीने बैठे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जनतन्त्रीय प्रथा है, तो मैं यह मांग करता हूँ कि साल में 10 महीने यह संसद बैठे ताकि अगर देश की जनता बराबर यह देखती है कि उसके अधिकारों पर कुठाराघात होता है, तो संसद में चर्चा होनी चाहिए। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप श्रीमती जा को समझाइये कि वह जनतांत्रिक संसदीय प्रथा में समय के मुताबिक काम करें, यह नहीं कि समय कम लगे, तो लोग कम बोलें। आप को डिक्टेटोरशिप का जो तरोका है उसका शिकार नहीं बनना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Now, must finish.

SHRIMATI YASHODA REDDY : I am grateful to Mr. Rajnarain. I entirely agree that in a democracy and democratic set-up views must be exchanged and even vehemently discussed. Certainly I have nothing against it, but sometimes I do feel, rightly or wrongly, and I honestly think that time is wasted. If we could control that, the little money that we are going to pay to the Deputy Chairman and the Deputy Speaker is quite appropriate. About the other things which my friend, Mr. Rajnarain, expressed, I have nothing to quarrel. As Mr. Tyagi said, this is neither the time, nor the place to discuss it. The Government should look into all the opportunities to cut down Governmental expenditure as otherwise in the present circumstances the people will not tolerate it. I support this Bill and I thank you very much.

SHRI MONORANJAN ROY (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, Sir, we have not heard so eloquent a speech as she used to make when she was here in these Benches. Now, she has got a new master and so I find that her eloquency has gone down. She has supported the Bill.

SHRI MAHAVIR TYAGI : She is our fifth columnist.

SHRIMATI YASHODA REDDY : Tyagiji is our leader and he must have knowledge of many things.

SHRI MONORANJAN ROY : We have heard about the Bill against defections, but since she is intelligent enough, she has gone over to that Bench before the Bill actually came.

Now, here is a question of increasing the emoluments of our Deputy Chairman and the Deputy Speaker. Our House is concerned with the Deputy Chairman particularly and we have got no quarrel, but the way the Bill has been brought forward and the agreements advanced by our hon. Minister are not all right. The reason given is that they want to raise the status of the Deputy Chairman. He is a little low in status now and you want to upgrade his status to that of a Minister of State. That is exactly where we must oppose. I must

[Shri Monorajan Roy]

oppose it in principle. It is not a question of Rs. 250/- per month or not. We should take into consideration certain points. It is merely the status of a person in our society which our Prime Minister often says is a socialist society. She is going to build a socialist society and she wants "Gharibi Hatao," but is this the sign of "Gharibi Hatao"? You are increasing the salary of the Deputy Chairman and the Deputy Speaker and you are refusing to increase a pie in the dearness allowance of the fourth class staff, particularly of this House and also the Government of India staff. The other day they declared in no unmistakable terms that they were not going to increase any dearness allowance until the Pay Commission gave its recommendations. So, they should remain satisfied with their dearness allowance. Thanks to the new Budget that has been passed, the prices outside have gone up to a very considerable extent. Even in Delhi rice which was available for Rs. 2.20 has gone up in price to Rs. 2.70 within the last week. The prices of vegetables and other commodities have gone up. It is not only a question of kerosene oil, which is used by the poor people. It is not only the question of coal which is not available in Delhi but other things also. If this is the condition of Delhi, the headquarters of the Government of India and our national capital, then we can well realise the condition of the price rise in our different States and different districts and villages. It is going up like anything at the same time this Bill has been introduced in which the pay and allowance, the salary and emoluments of the Deputy Chairman and the Deputy Speaker—we have great respect for them, to that I will come later ...

AN HON. MEMBER : They want to measure it in terms of money.

SHRI MONORANJAN ROY : That is of course the point. They want to measure it in terms of money. How can we measure prestige in terms of money? That I said in the very beginning. When those Class IV staff and other staff have been denied an increase in Dearness Allowance, when our Labour Minister the other day called a conference of all the trade union leaders, inaugurated by the Prime Minister herself, and the papers were prepared by the bureaucrats, the IAS officers that there

should be a wage freeze and there should be wages linked with production, that no wage rise will be tolerated, at that very moment this Bill is coming. I think this is the most inopportune moment when this Bill has been brought in order to raise the status and prestige of the Deputy Chairman. It is just the contrary. It is hitting on the prestige and status of the Deputy Chairman and the Deputy Speaker. It is not raising their status. It is degrading them, and they want to misuse the status, the responsibility and the prestige of the Deputy Speaker and the Deputy Chairman by way of giving Rs. 250 more. Mrs. Yashoda Reddy mentioned about controlling the House. When there is some tumult in the House, the Deputy Speaker or the Deputy Chairman is to be rewarded with some more money when he controls the House when the House becomes unruly. The question is whether the Deputy Speaker or the Deputy Chairman should be paid some more extra money because he controls the House. Why not our Vice-Chairman who preside over the House be paid extra money for controlling the House? They should also be paid more money because they control the House with much difficulty. It is not a question of bringing a Bill in order to raise the status of the Deputy Speaker or the Deputy Chairman to that of a Minister of State. That is a most obnoxious thing. *(Interruption)* I know the Government is responsible for corruption and wastage of crores of rupees per month for years here in our country. That is all nothing to them, but they bring a Bill to raise the wages and salary of the Deputy Speaker and the Deputy Chairman as if they are giving some emoluments and tips to them for controlling the House and for giving rulings in their favour. It is most degrading in that way. That is why we must oppose this Bill.

About the question of unemployment, about the question of our economy which is going down every day, we do not find any Bill coming in this House, excepting that in the Budget they have set apart some few crores. I do not know how they will be spent. I am sure unemployed people will not get any benefit. The money will go down some where in between, in the midway, into the hands of some bureaucrats and others. What about the question of unemployment? What about the question of wages and salaries of the Central

Government employees? Lots of employees are there who are groaning under the price rise, and they have not been given any increase in their salaries, any increase in the dearness allowance. That is why we cannot support this Bill, and we oppose it on principle.

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra) : Sir, I am opposing this Bill. Many Members in this House have quoted Mahatma Gandhi and Marx and other great philosophers. Sir, I have not the courage to refer them because I think we have come far away from their original stand. If I may say so, we have buried Mahatma Gandhi five fathoms deep. With wine flowing as freely as we see in Delhi, in Tamil Nadu and elsewhere, with cabaret dances and what not, to refer to Mahatma Gandhi is, I suppose, more than adding insult to injury. So, I do not want to refer to that great man at all. Let us admit that we are living in a different world altogether. But I do want to refer to the position that we have taken ourselves, especially after the mid-term poll. Sir, we have promised the people that there will be an egalitarian society in India. We have said that the main slogan on which we shall be working henceforward will be that of *garibi hatao*. I would like to appeal to the Minister to look at the provisions of this Bill from that point of view. I am not, again, asking him to remember Mahatma Gandhi and other national leaders.

Sir, it is very unfortunate that while trying to discuss this Bill we have to refer again and again to the Deputy Speaker and the Deputy Chairman. I have no grudge against them. But you see, Sir, unfortunately for them and perhaps unfortunately for us also, the Bill is coming before us at a time when we are trying to evolve an egalitarian society in this country. If you look at the provisions of the Bill, there are two provisions. One is to raise their salary by Rs. 250, and the other is to provide Rs. 250 by way of sumptuary allowance. So, it really comes to Rs. 500 per month. I would like to ask the Minister where was the necessity of it? Did the Deputy Speaker or the Deputy Chairman say that they were finding it difficult to make both ends meet and therefore it was necessary to increase their salary by Rs. 250 and also their sumptuary allowance by Rs. 250? Was it because that a representation was made by these two officers of Parliament

that this Bill is being brought forward here? Or is it because that there are certain mistaken ideas about protocol? Sir, I do think that the Government still persists in having mistaken ideas about protocol. Bringing anybody to a particular standard means raising the salary; dignity here is equated with salary. Sir, that is what I feel and I say it is the most obnoxious feature of a Bill like this. Sir, here in Delhi when we are building a new city, you will find that this particular idea of dividing the society on the basis of salary is obvious everywhere. Those people who get more salary live in Shan Nagar; those who get a little less stay in Man Nagar; those who are Class IV employees, their colony is Sewa Nagar. You see, in every way, it seems that *Chatur Varnya* persists. Therefore, I will ask Mr. Raj Bahadur, he is such a good friend, whether this is the proper time, the opportune time for him to bring such a Bill before this House. It seems that we are not trying to understand the spirit of our own slogans, of our own resolutions. Sir, I am very sorry—the Leader of the House is here—only today I find in the *Times of India* a reference has been made to a special room that has been constructed for him. About a lakh of Rupees has been spent on it. I do not know whether it is true or not. I do not know whether Dikshitji had asked for such a room. I know he was in the thick of struggle in 1930 and 1942. He was one of the guiding spirits.

SHRI MAHAVIR TYAGI : He was with me in jail in 1921.

SHRI N. G. GORAY : You must have spoiled him. So, Sir, I do not know whether the story is true or not. But it shows the way we look at things. I was told by the newly-appointed Minister of State that as soon as he went to his bungalow he was told that he could spend Rs. 30,000 on renovation. If he wanted all the curtains to be removed he could do so. If he wanted all the furniture to be removed he could do so. If he wanted a particular type of carpet or some other things he could spend up to Rs. 33,000. Sir, is it not time that we stop doing this?

SHRI MAHAVIR TYAGI : He did not spend that money.

SHRI N. G. GORAY : I was saying that this particular attitude of mind I am going to attack. It does not fit in with the slogans and

[Shri N. G. Goray]

professions and the promises that we have made to the poor, half-starved crores and millions of people here.

I, therefore, say very humbly, please do not look at what the Opposition has said from this angle that whatever you do the Opposition will oppose. I know the famous dictum that it is duty of the Opposition to oppose, to expose and then to depose the Government. I know that. It is not from that point of view that I am speaking on this occasion. But I am asking: Why did you make this poor Deputy Speaker and the Deputy Chairman the victims of our attack? You could have saved them by saying, "Well, we are now entering a new phase of our national life." Instead of raising their salaries and sumptuary allowances you could have really brought them down. You yourself, Sir, had suggested here while speaking on the subject that there should be all round 10 per cent. cut. I agree with you, and I would suggest to the Government that instead of raising the salaries of these two officers bring down the salaries of all the Members of Parliament by 85 per cent. I have no doubt that all the Members of Parliament will agree with this. It is not only a question of economising but it is a question of putting a limit on our expenses, the question of trying to identify ourselves with the common people.

I am not one of those who would drag Gandhiji's name everywhere. Whatever Gandhiji said was not correct. I do not agree with him that the barber and the advocate will get the same remuneration. I know these are things which are said by prophets. Lenin also had said that in Russia he would build latrines of gold just to show that gold does not mean anything to them. I do not think they have built any thing so far and they are not going to build anything like that at any time. But these are the absolute norms which the society should try to evolve. So I am not referring to Gandhiji in that spirit at all. But we certainly say socialism means a more egalitarian society which basically means that the gulf between the rich and poor will be narrowed, narrowed to the limits possible. I would say, Sir, even at this hour it is not late for the Minister to withdraw this Bill, and for that, people like me will thank him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR

ALI KHAN): Minister.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Just a few minutes. You know, Sir, I do not make long speeches. As somebody who has been often criticising and has been troublesome to the Deputy Chairman, my sympathies are with the Deputy Chairman. I have no quarrel with the proposed Bill. So many things have been said in favour of raising their salary and allowances. May I remind the hon'ble Members that we had a Deputy Chairman? Her salary did not matter. What mattered was the way she conducted herself. She was also a Deputy Minister and Minister, at one time, of the Government. It is how she conducted herself and the manner in which she conducted herself in this House. She lent dignity to the House and to the Chair she occupied. It is not money that brings it. Like many of my friends, I do not like connecting money and dignity. I think it is rather insulting to the occupant of the Chair than giving him any prestige. As regards giving him some more emoluments and so on, I am not against it. I do not like to quote Gandhiji. As Mr. Goray has rightly said, we have gone miles away from Gandhiji and his ideas. A generation has passed. People remember him and quote him whenever it suits them. We can quote something out of his writings when it suits us on this side. And when it suits people on the other side, they will quote him. But let us remember that *garibi* has not gone. Mrs. Gandhi might have won the election but she has not won the war against *garibi*. The costs are rising and it hurts everyone. So, if this House in its wisdom proposes to give a little extra allowance to the Deputy Chairman, it should not be grudged. The Deputy Chairman has to do a lot of entertaining and that sort of thing. It is not a question of purely the irksome work of sitting in the chair. There are so many other functions which the Deputy Chairman has to do. The House should look at it from a little broad-minded point of view and not grudge this little extra allowance which is proposed to be given. I am sure the Government has considered all this, and in these difficult times, if a little extra money is given, it is not a great waste. Why don't you consider what is being given to the hon. Ministers of the Cabinet? The total cost of each Minister per year is Rs 4½ lakhs, if you do not know it.

SHRI T. V. ANANDAN (Tamil Nadu) :
And tax-free.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL : That that is tax-free. So, if you want to cut, that is where you have to look, not here. I am not saying that you should apply a cut there. That is not my idea. My idea is, you pay men well and get good work. If you pay the Ministers well and make them honest, I have no quarrel. But where you pay them well and do not get good work, I have always quarrelled against it. I have raised the matter very often and I do not want to repeat it.

SHRI T. V. ANANDAN : Sir, only one point in the interest of the dignity of the House. The hon. Minister, while piloting the Bill in this House, said that the salary of the Deputy Speaker and the Deputy Chairman is being equated with the salary of the Ministers of State. Does it fit in right with the dignity of the Deputy Chairman and the Vice-Chairman of the House ? The entire dignity now rests upon you, Sir, as the Vice-Chairman. And the Deputy Chairman is above everybody. Even the Prime Minister takes the decisions of the Deputy Chairman at times. Therefore, he is above everybody. So, the Minister should not have stated that his status is being equated to that of a Minister of State. May I not request you to expunge that remark in the introductory speech ? The other things you may allow to remain. It is only to honour and safeguard the dignity of the House that I have referred to this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Miss Shanta Vasisht. I am sure you will be very brief.

KUMARI SHANTA VASISHT (Delhi) : Only two minutes. I am very sorry that this Bill has been brought because while they emphasise and want to equate the Deputy Speaker and the Deputy Chairman with a Minister of State and so on, the status of the Deputy Speaker or the Deputy Chairman who presides over the House is even more superior to that of any Cabinet Minister or even of the Prime Minister. I do not think it should be considered salary-wise whether they are equal to the Ministers of State or otherwise because the Chair is held in the highest regard even above a Minister or a Cabinet Minister. And respect

is given to the Chair because it happens to be the Chair, though I think we would very much like the Chair to be always impartial and objective, which they are not always. It is a very serious matter that cliquishness or groupism or some party business has crept in so much in our politics now and everything goes with a group or with small cliques which function in this House or in the other House and they encroach upon the functioning and the proceedings very much. Those who are favourites are in one category and those who are not favourites are in another category. While we expect that an honourable position should be given to the Chair, we also expect that they should look upon everybody as equal. It is only fair that we should expect this much from the Deputy Chairman or the Deputy Speaker. I do not know to what extent they are under the very strong impact of the Prime Minister. Practically everytime they look to her to see what she wants to say or what she wants to do. That influence is very much there on them. I think it is absolutely wrong and this just should not be done. (Interruption) Mr. Panda, this just should not be done if you want to have democracy, it is a different matter. But you cannot have democracy in this way and still call it a democracy. You cannot colour it according to your own ways. As far as sumptuary allowance is concerned, I do not know who are entertained, which groups are invited and which groups are not invited. I think it is ridiculous to have this sumptuary allowance. I think then it should be given to all other people including Members of Parliament. I think Mr. Om Mehta may be inviting his own friends. So also other Ministers may be inviting their own friends. I do not know anything about this sumptuary allowance. It is a waste of money. It is used to look after their own friends, perhaps to promote this group or that group. So I strongly oppose this Bill. I think it is absolutely uncalled for at this moment.

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING /निर्माण और आवास मंत्री (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT) : Mr. Vice-Chairman, I want to say a word about the reference made by my friend, Mr. Goray, to a press comment that a hundred thousand rupees have been spent on constructing a room or something of that kind. It is not correct to say that. No room has been constructed at

[Sri Uma Shankar Dikshit]

my residence. The allegation made in the Hindustan Times...

SHRI N. G. GORAY : It is in the Times of India, Current Topics.

SHRI UMASHANKAR DIRSHIT : That I missed, I saw the Hindustan Times report and I promptly contradicted it the next day. That should stand. So far as I am concerned, whatever expenditure was incurred, it was within the rules, within the limits permitted.

श्री राजनारायण : कितना है ।

SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT : Rs. 38,500. Including new expenditure the limit Rs. 38,500. The total expenditure including new expenditure is less than Rs. 38,500. The articles taken from the stores are accounted for in Rs. 38,500. Even articles which are five years old, furniture which is five years old, there used in the house. Therefore, that the expenditure was Rs. 1 lakh or Rs. 2 lakhs is all grossly exaggerated and distorted. The main point is that I have incurred expenditure well within the limits permitted to Ministers. I do not claim any special position. I do not claim any austerity or simplicity.

श्री मानसह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं एक क्लैरिफिकेशन पूछना चाहता हूँ ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : What do you want to say ?

श्री मानसह वर्मा : मैं एक क्लैरिफिकेशन पूछना चाहता हूँ (Interruptions) Why? Is it not my privilege to ask for clarifications? माननीय दीक्षित जी ने अभी कहा कि 38 हजार रुपया जो है वह एक मिनिस्टर के लिये है । इस विषय में मैं जानना चाहता हूँ कि यह रुपया कोई भी मिनिस्टर ले सकता है? फर्ज कीजिए कोई मिनिस्टर 6 महीने के बाद चला जाता है तो दूसरा मिनिस्टर भी 38 हजार खर्च कर सकता है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : खर्च करने का सवाल नहीं है । कितना सामान स्टोर से या किसी दूसरे मिनिस्टर की जगह से आता है उसकी पहिले जो कीमत लिखी होती है उसके अन्दाज से उतना तक लिया जा सकता है ।

श्री मानसिंह वर्मा : क्या वह नया खर्चा कर सकता है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : उसकी लिमिट है और करीब 8 हजार से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता है ।

SHRI RAJ BAHADUR : Mr. Vice-Chairman, I have listened to the observation made by my friends opposite with great respect and attention. I must assure my friends Shri Goray and Shri Tyagi—he is not here—that whatever they have said could be expected of them as old freedom fighters who have devoted most of their life time to certain values which we all cherish. We must be able to live upto them. I can assure the House that we all do live upto them. But the circumstances in which we have been placed and the things we have inherited and the background that we have in our country perhaps all these do not permit us to do that. I would be the last man to quote Gandhiji if we cannot live upto that ideal which he had placed before us. But let us all search our hearts. Let us do some introspection. That is the first thing. If we can do that, we will have achieved a lot. Therefore, I would beg of my friend Shri Goray and Shri Tyagi, in particular, not to think that by trying to bring this measure we have tried to compromise with the dignity or position or status of the Deputy Chairman. As presiding officer, he is above all those who are sitting here. It is not a question of weighing his dignity hand his status in the balance of mere salary or emoluments. The question is, if a certain scale of salary and emoluments is attached to the post, shall we give it to them or not? Sir, can we discriminate? When we say that the salary of the Chairman or Salary of the Speaker is equivalent to or equal to that of a Minister of Cabinet rank, the status of the Speaker or Chairman as a presiding officer does not become equated to that of a Cabinet Minister. We simply say that the scale of salary attached

to that post should be given to him. In this case, the anomaly was continuing for a number of years, that is, from 1962 when the decision was taken equating the office of the Deputy Chairman to that of a Minister of State in the matter of scale of emoluments. The point is that the salary and allowances due to him are not being given. Shall we allow that anomaly to continue? Shall we allow that discrimination to continue? It is not a question of adding Rs. 500/- to his salary. It is question of giving something which is due to him.

Then on this simple question certain issues have been raised from that side. Questions such as unemployment, or *garibi Hatao* and dearness allowance etc. have been raised. We are as much concerned about these things as Members on the other side are and with the massive mandate of the people we have received, we are duty-bound to see that the assurances, aspirations and objectives that we have placed before ourselves are fulfilled. We have never claimed and our leader the Prime Minister has not certainly claimed that she has a magic wand by which she can remove unemployment or achieve *garibi hatao* in a day or a moment. We have to put our heads together and then work for the achievement of their national aims.

~ ~ ~

The question of dearness allowance was raised. I have dealt with labour. I have been a Minister earlier for 16 years and during that period I have dealt with labour demands. My experience has been that we are chasing price indices with rise in the dearness allowance. Immediately after a rise in the dearness allowance is allowed, the grocers and other middlemen inflate their prices and the result is the real wage of a labour or employee remains where it was. The extra dearness allowance he gets is snatched from his hands by the middlemen. This is a matter which we have got to seriously consider. Otherwise, it is a vicious circle of rising prices followed by increase in dearness allowance. How can we really meet this situation and how can we achieve our ideal of *garibi hatao*? We have to think in practical terms. We have got our own ideas and government is working on them. What is that, we cannot say at the moment because this is neither the place nor the occasion to do it. But this is a matter which requires

fresh consideration with an open mind and we are doing that.

The question was asked how far we have removed disparity in income. I was just sitting here doing a bit of arithmetical calculation. In the so-called good old days before Independence, the average salary of a Class IV peon or a patwari or a teacher in my State was Rs. 10 or even Rs. 8/- whereas that of the Minister of Executive Council at Delhi was Rs. 5,000/-. Thus the ratio was 1 : 500. To-day, I can say without fear of contradiction, that a Class IV employee gets Rs. 100/- put all things together. As against Rs. 2,250/- given to a Minister, this ratio has come down to 1 : 22.5 i. e. it has come down from 1 : 500 to 1 : 22.5 again, if we compare it with that of the emoluments of Members of Parliament, on the basis of the previous scale of Rs. 400/- p. m. and Rs. 21/- as DA which a member receives daily for about seven months in a year because seven months is the average—the calculation would come to about Rs. 767/- p. m. and so, the equation would be 100 : 767 or 1 : 7.67 and with the increased emoluments that we have now effected in our M. P.'s salaries and emoluments monthly average comes down to Rs. 392/-, the emoluments of a Member of Parliament are now Rs. 1,392/- or more. I am giving you the figure. This brings the ratio to 1 : 13.2 or 1 : 14. So I can say without any fear of contradiction that we are moving and not static. I would like to state that either you want that all those salaries should have been pegged at Rs. 10/- and also the salaries of the Ministers should have been brought down from Rs. 5,000/- to Rs. 500/-.

But all these matters are, if I am to say so, with all respect, extraneous and not germane, not relevant really to the consideration of this simple measure, namely, to give the prescribed emoluments to the Deputy Chairman and the Deputy Speaker and this does not amount to very much and I do not want to bring polemics in this. This is really a matter which concerns the dignity and decorum of the House and the symbol of that dignity, namely, the Deputy Chairman and the Deputy Speaker. I won't like to enter into any controversy. If we have failed in our conduct or have failed otherwise, we shall have to go to the people again and seek their mandate.

When we have reached that point...

[Shri Raj Bahadur]

are grateful to them for returning us with that mandate and we shall try our best and I am sure we are trying to go by the mandate that has been given to us and we are second to none in our enthusiasm for the under-dogs, for the unemployed and for the objective of 'garibi hatao'. We have been trying to do as best as we can with the limited resources and all the handicaps that we have. That is all, Sir. Thank you, Mr. Vice-Chairman.

SHRI DWIJENDRALAL SEN GUPTA (West Bengal) What is the allowance of a Minister?... (Interruptions)

SHRI RAJ BAHADUR : As Deputy Minister, I used to sign on Rs. 1,400/- a month, as a Minister of State I used to sign on Rs. 1,800/- and as Cabinet Minister, it is about the same, and I do not have many privileges.

SHRI D. K. KAUL (Rajasthan) : Sir, he has said that for seven months the House is run and he has calculated it on that basis.

SHRI RAJ BAHADUR : May be that it is for six months. (Interruptions)

SHRI B. K. KAUL : It is not more than three months or four months. (Interruptions)

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मेरा प्वाइंट यह है कि श्री राज बहादुर जी ने केवल सैलरी की बात कही। मैं यह चाहता हूँ कि जब यह तुलना कर रहे हैं तो तुलना सद्बुद्धि से होनी चाहिए। हमने यह नई टेक्निक देखा है कि सैलरी कम करो, फैसिलिटीज बढ़ाओ तो मैं चाहता हूँ कि सैलरी, भत्ता, आवागमन, सुसज्जित आवास इन तमाम को जोड़ कर श्री राजबहादुर जी बतायें कि पहले से ज्यादा है या कम है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : The question is...

श्री राजनारायण : उनको जवाब देने दीजिए।

श्री राजबहादुर : मैं स्वीकार करता हूँ

कि राजनारायण जी की जो भाषा और विचार हैं उनका जबाब देने की मुझ में क्षमता नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill further to amend the Salaries and Allowances of Officers of Parliament Act, 1953, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Shri Raj Bahadur.

SHRI RAJ BAHADUR : Sir, I move :
"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

ANNOUNCEMENT RE ARREST OF SHRI PREM MANOHAR, MEMBER, RAJYA SABHA

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I have to inform Members that the following wireless message dated the 20th June, 1971, has been received from the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknow :

"Shri Prem Manohar, Member, Rajya Sabha, arrested at 11-05 hours on 20. 6. 71 at Kanpur Central Railway Station under Section 147/841 I. P. C., read with section 120, Railway Act, and lodged in District Jail, Kanpur. The above-mentioned Member along with several others belonging to Bhartiya Jan Sangh were demonstrating at Railway Station against the increase in Railway fares and obstructed the movement of the Lucknow-Jhansi Mail by standing before the Railway Engine of the train. Offence cognizable. Were offered to be